[2019]6 एस सी आर 41

अशोक कुमार मेहरा एवं अन्य
प्रति
पंजाब राज्य आदि
2008 की आपराधिक अपील संख्या- 1466-1467, 15 अप्रैल 2019
(न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे एवं दिनेश माहेश्वरी)

किशोर न्याय (बालको की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000: धारा 2(k), 20), 7A सपठित धारा 20- अधिनियम २००० के लाभ - पात्रता - अपीलकर्ता संख्या 2 की उच्च न्यायालय द्वारा सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषमुक्त किए जाने के आदेश को पलटते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये दोषसिद्धि और सजा - अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रथम बार किशोर होने अभिवाक लिया गया - अपील पर, अवधारित :धारा 2(के), 2(1), 7ए आरडब्ल्यू एस। 2006 द्वारा यथा संशोधित धारा 20 के अनुसार, एक किशोर जिसने अपराध कारित करने की तिथि पर अठारह वर्ष पूरे नहीं किए थे, वह अधिनियम 2000 के लाभ का पात्र है, भले ही किशोर होने का अभिवाक प्रथम बार इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया हो - अपीलकर्ता संख्या- 2 किशोर होने के कारण इस अपील में भी अभिवाक उठाने का अधिकृत है - इस प्रकार, अपीलकर्ता नंबर- 2 अपराध करने की तारीख पर एक किशोर था और यद्धपि वह आंशिक रूप से विचाराधीन कैदी के रूप में और आंशिक रूप से एक दोषसिद्ध के रूप में,आज तक पर्याप्त जेल की सजा काट चुका है। अपीलकर्ता संख्या -2 के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता संख्या -1 द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए और अपीलकर्ता संख्या 2 द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय द्वारा अवधारित:

1.1 जहां तक अपीलकर्ता संख्या 1-पिता द्वारा दायर अपील का संबंध है, यह उनकी मृत्यु के कारण उपशमित कर दी गई है। [पैरा 7][44-बी]

1.2 अपीलकर्ता संख्या- 2 का जन्म 14.06.1980 को हुआ था जबकि अपराध करने की तारीख 04.01.1998 है। इसलिए, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अपीलकर्ता संख्या- 2 अपराध की तिथि पर किशोर था (वह 18 वर्ष से कम उम्र का था, अर्थात, वह 17 वर्ष और 5 महीने का था)। यद्यपि यह तथ्य न तो सत्र न्यायाधीश और न ही उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था और इस अपील में अपीलकर्ता संख्या -2 द्वारा सर्वप्रथम इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था, तथापि राजू के मामले में निर्धारित विधि के आलोक मे, अपीलकर्ता संख्या- 2 इस अपील में कभी भी इस अभिवाक को उठाने का हकदार है। 2006 में यथा संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 2(के), 2(1), 7ए सपठित धारा 20 के आलोक में, एक किशोर जिसने अपराध करने की तिथि पर अठारह वर्ष पूरे नहीं किए हैं, वह 2000 के अधिनियम के लाभ का हकदार है।अधिनियम की धारा 7ए के संदर्भ में, किसी मामले के अंतिम निपटान के बाद भी, इस न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय के समक्ष किसी भी स्तर पर किशोरता का अभिवाक उठाया जा सकता है। [पैरा 8-11][45-ईएच; 44-डी

1.3 जहां तक अपीलकर्ता संख्या 2 की जन्मतिथि की प्रमाणिकता से संबंधित मुद्दे का संबंध है, अपीलकर्ता संख्या 2 ने सत्र न्यायालय में अपना जन्मतिथि प्रमाण पत्र दायर किया था; अभियोजन पक्ष ने सत्र न्यायाधीश के समक्ष जन्म प्रमाण पत्र की शुद्धता पर कोई आपत्ति नहीं जताई; इस अदालत ने अपीलकर्ता संख्या- 2 को इस आधार पर जमानत दे दी कि चूंकि अपराध के समय वह किशोर था और 18 वर्ष से कम था, जिस पर प्रतिवादी-राज्य द्वारा विवाद नहीं किया गया था; और इस अपील की सुनवाई के समय भी, राज्य के वकील ने अपीलकर्ता संख्या- 2 के जन्म प्रमाण पत्र पर कोई विवाद नहीं किया। इनके आलोक में आगे कोई जांच करना आवश्यक नहीं है. [पैरा 12, 13]

[46-एसी]1.4 चूंकि अपराध कारित करने की तिथि पर अपीलकर्ता संख्या- 2 किशोर था और हालांकि आज तक वह पहले ही आंशिक रूप से विचाराधीन कैदी और आंशिक रूप से एक दोषसिद्ध के रूप में पर्याप्त जेल की सजा काट चुका है। , अपीलकर्ता संख्या के आधार पर आक्षेपित आदेश 2 को अपास्त किया जाता है. [पैरा 14][46-डी]
राजू बनाम हरियाणा राज्य 2019 (4) स्केल 398-पर भरोसा किया।
निर्णयज विधि संदर्भ 2019 (4) स्केल 398 पैरा 8, 14 पर भरोसा किया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2008 की आपराधिक अपील संख्या 1466-1467।
वर्ष 2000 की आपराधिक अपील संख्या 681-डीबीए और आपराधिक पुनिरीक्षण 1242 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के निर्णय और आदेश दिनांक 21.07.2008 के विरुद्ध।
. यशपाल ढींगरा,अपीलकर्ताओं अशोक कुमार मेहरा वी. पंजाब राज्य आदि के लिए अधिवक्ता
अंकित स्वरूप, सुश्री विदिशा स्वरूप, जवाद तारिक, रोहित कुमार सिंह, सुश्री जसप्रीत गोगिया, सुश्री मंदाकिनी सिंह, सुश्री आशिमा मंडला, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता ।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे, द्वारा उदघोषित किया गया।

1. ये अपीलें 2000 की आपराधिक अपील संख्या 681 डीबीए और 2000 की आपराधिक पुनिरीक्षण संख्या 1242 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 21.07.2008 के विरूद्ध निर्देशित हैं, जिसके अन्तर्गत उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 1 (राज्य) द्वारा दायर आपराधिक अपील को स्वीकार किया गया और आपराधिक कारण: 1998 के सत्र वाद संख्या 10 में सत्र न्यायाधीश, रूपनगर द्वारा पारित दिनांक 06.06.2000 के फैसले को अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी संख्या- 2 (शिकायतकर्ता) द्वारा दायर पुनरीक्षण और दोनों अपीलकर्ताओं को धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया । भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 34 (इसके बाद इसे " आईपीसी " के रूप में संदर्भित किया जाएगा) और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक को 5,000 रुपये का जुर्माना अदा करना पड़ा। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह-छह महीने की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।

2. इन अपीलों के निपटान के लिए नीचे कुछ तथ्यों का उल्लेख आवश्यक है।

3. अपीलकर्ता नंबर 1 अशोक कुमार मेहरा अपीलकर्ता नंबर 2 कुशवंत @ सुखवंत कुमार मेहरा के पिता हैं। दोनों अपीलकर्ताओं, यानी पिता और पुत्र पर इंद्रजीत धीमान की हत्या के अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया था । सत्र न्यायाधीश ने सत्र वाद संख्या 10/1998 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 06.06.2000 द्वारा दोनों अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया।

4. राज्य और शिकायतकर्ता दोनों ने व्यथित होकर और उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील और आपराधिक पुनरीक्षण दायर किया। आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील के साथ-साथ आपराधिक पुनरीक्षण को भी स्वीकृत किया और सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए दोषमुक्त करने के निर्णय को पलटते हुए, दोनों

अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसके कारण दोनों आरोपी व्यक्ति, अर्थात पिता और पुत्र द्वारा यह अपील योजित की गयी।

5. अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री टीएस दोआबिया और उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील श्री अंकित स्वरूप और सुश्री जसप्रीत गोगिया को सुना।

6. अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री टीएस दोआबिया ने शुरुआत में कहा कि जहां तक अपीलकर्ता नंबर 1 अशोक कुमार मेहरा यानी पिता का प्रश्न है, इन अपीलों के लंबित रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो चुकी है। जहां तक अपीलकर्ता नंबर 2 कुशवंत @ सुखवंत कुमार मेहरा, यानी पुत्र का प्रश्न है विद्वान अधिवक्ता ने तब हमारे संज्ञान में लाया गया कि , वह अपराध की तिथि पर किशोर था।

7. हमारी राय में, जहां तक अपीलकर्ता संख्या- 1 अशोक कुमार मेहरा, यानी पिता द्वारा दायर अपील का संबंध है, उनकी मृत्यु के कारण यह उपशमित हो गई है। मामले को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता नंबर 1 द्वारा दायर अपील को तदनुसार निरस्त किया जाता है।

8. अब जहां तक अपीलकर्ता संख्या- 2 सुखवंत कुमार, यानी बेटे द्वारा दायर अपील का सवाल है, हमारे विचार में, इस अदालत द्वारा हाल के निर्णय राजू बनाम हरियाणा राज्य , 2019(4) स्केल 398 में में निर्धारित कानून के आलोक में इसे अनुमति दी जानी चाहिए। जिसमें एक समान प्रश्न शामिल था। इस न्यायालय (तीन न्यायाधीशों की पीठ) द्वारा पैरा 9, 10, और 25 में यह अवधारित किया गया है:

> “9. यह अब तक अच्छी तरह से तय हो चुका है, जैसा कि हरि राम बनाम राजस्थान राज्य , (2009) 13 एससीसी 211 में अवधारित किया गया था, कि 2006 में संशोधित 2000 अधिनियम की धारा 2 (के), 2 (आई), 7 ए सपठित धारा 20 के प्रकाश में, एक किशोर जिसने अपराध करने की तिथि पर अठारह वर्ष पूरे नहीं किए थे, वह 2000 अधिनियम के लाभ का हकदार है (मोहन माली बनाम मध्य प्रदेश राज्य भी देखें , (2010) 6 एससीसी 669; दया नंद बनाम हरियाणा राज्य , (2011) 2 एससीसी 224; धर्मबीर बनाम राज्य (एनसीटी) दिल्ली (सुप्रा); जितेंद्र सिंह @ बब्बू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य , (2013) 11 एससीसी 193)मे भी समान रूप से स्थापित है कि 2000 अधिनियम की धारा 7 ए के संदर्भ में किसी मामले के अंतिम निपटान के बाद भी, इस न्यायालय सहित किसी भी आरोपी द्वारा किसी भी अदालत के समक्ष किसी भी स्तर पर किशोर होने का दावा उठाया जा सकता है (देखें धर्मबीर बनाम राज्य) । (एनसीटी) दिल्ली , (सुप्रा), अबुजर हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य , (2012) 10 एससीसी 489; जितेंद्र सिंह @ बब्बू सिंह बनाम यूपी राज्य , (सुप्रा); अब्दुल रज़ाक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य , (2015) 15 एससीसी 637)।
>
> 10. उपरोक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता 2000 अधिनियम के लाभ का हकदार होगा यदि अपराध की तारीख पर उसकी उम्र 18 वर्ष से कम निर्धारित की जाती है।इसके अलावा यह अप्रासांगिक होगा कि धारा 7 ए के आलोक में, किशोरता का अभिवाक विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था। इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा की गई जांच आख्या के अनुसार, इस मामले में, अपीलकर्ता अपराध की तारीख पर 18 वर्ष से कम उम्र का था। हमारे सामने

एकमात्र प्रश्न यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या ऐसी रिपोर्ट को उच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए विपरीत दृष्टिकोण पर प्राथमिकता दी जा सकती है, ताकि 2000 अधिनियम का लाभ अपीलकर्ता को दिया जा सके। 25. इसके द्वारा आपराधिक अपील की अनुमति दी जाती है और आईपीसी की धारा 376(2)(जी) के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। यह देखते हुए कि अपीलकर्ता पहले ही 6 साल कारावास में बिता चुका है, जबकि 2000 अधिनियम की धारा 15(1)(जी) के अनुसार किसी किशोर को विशेष गृह में भेजे जाने की अधिकतम अवधि केवल 3 वर्ष है, और अपीलकर्ता के बाद से न्यायालय के दिनांक 09.05.2014 के आदेश के आधार पर उसे पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है, उसे हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है। उनके जमानतनामे निरस्त किए जाते हैं और उनके खिलाफ सभी कार्यवाही, जहां तक वे वर्तमान मामले से संबंधित हैं, समाप्त की जाती हैं।

9. जब हम राजू (सुप्रा) के मामले में निर्धारित विधि के आलोक में अपीलकर्ता संख्या- 2 के मामले के तथ्यों की जांच करते हैं , तो हम पाते हैं कि अपीलकर्ता नंबर 2 का जन्म 14.06.1980 को हुआ था जबकि अपराध कारित करने की दिनांक 04.01.1998 है।

10. इसलिए, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अपीलकर्ता संख्या- 2 अपराध की तारीख (04.01.2019) को किशोर था (वह 18 वर्ष से कम उम्र का था, अर्थात, वह 17 वर्ष और 5 महीने का था)।. दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ता संख्या- 2 ने अपराध की तिथि अर्थात 04.01.1998 को 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी।

11. यद्धपि यह तथ्य न तो सत्र न्यायाधीश और न ही उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था और इस अपील में अपीलकर्ता संख्या 2 द्वारा सर्वप्रथम इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था, तथापि इस न्यायालय द्वारा राजू (सुप्रा) के फैसले के पैरा 10 में संदर्भित कई निर्णयों में, निर्धारित कानून के आलोक में अपीलकर्ता संख्या 2 इस अपील में भी इस अभिवाक को उठाने का हकदार है।

12. अब, जहां तक अपीलकर्ता संख्या 2 की जन्मतिथि की प्रमाणिकता से संबंधित मुद्दा है, प्रथमतः, यह विवादित नहीं है कि अपीलकर्ता संख्या 2 ने सत्र न्यायालय में अपना जन्मतिथि प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था;द्वितीयतः,अभियोजन पक्ष ने सत्र न्यायाधीश के समक्ष जन्म प्रमाण पत्र की शुद्धता पर कोई आपत्ति नहीं जताई; तृतीयतः, इस न्यायालय द्वारा परित आदेश दिनांकित 11.07.2011 के द्वारा अपीलकर्ता संख्या 2 को इस आधार पर जमानत दे दी कि चूंकि अपराध के समय वह किशोर था और 18 वर्ष से कम था, जिस पर प्रतिवादी राज्य द्वारा विवाद नहीं किया गया था; और अंत में, इस अपील की सुनवाई के समय भी, प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधीवक्ता ने अपीलकर्ता संख्या 2 के जन्म प्रमाण पत्र पर कोई विवाद नहीं किया।

13. इन चार कारणों के प्रकाश में हमारा मानना है कि इस प्रश्न पर आगे कोई जांच करना आवश्यक नहीं है।

14. उपरोक्त चर्चा के दृष्टिगत, हमारी सुविचारित राय है कि चूंकि अपीलकर्ता संख्या- 2 अपराध करने की तिथि पर किशोर था और यद्धपि वह पहले ही आंशिक रूप से विचाराधीन कैदी और आंशिक रूप से दोषसिद्ध के रूप में पर्याप्त जेल की सजा काट चुका है। फिर भी अपीलकर्ता संख्या-2 द्वारा दायर अपील मामले के गुणदोष पर विचार

किए बिना और उस संबंध में कोई अन्य परिणामी आदेश पारित किए बिना स्वीकार की जानी चाहिए जैसा कि राजू (सुप्रा) के मामले में किया गया था।

15. तदनुसार अपीलकर्ता संख्या 2 की अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता क्रमांक 2 के संबंध में आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है।

निधि जैन । अपील निस्तारित।

अभय प्रताप सिंह-I
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
शाहजहाँपुर।